



न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता, महुआडाँड़।

दाखिल खारिज अपील
वाद सं०-02/2023-24

अपीलार्थी :- सुरेन्द्र यादव, पिता-स्व० भुखन यादव, ग्राम-पहाड़कोचा,
थाना-बारेसाँढ़, जिला-लातेहार।

बनाम

विपक्षी :- तनवीर अहमद, पिता-मो० सज्जाद, ग्राम-महुआडाँड़,
थाना-महुआडाँड़, जिला-लातेहार।

आदेश

यह दाखिल-खारिज अपील वाद अंचल अधिकारी, महुआडाँड़ द्वारा नामान्तरण वाद सं०-208R27/2021-22 में दिनांक-06.09.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। अंचल अधिकारी, महुआडाँड़ द्वारा अपीलार्थी का भूमि मौजा-रामपुर खाता सं०-08, प्लॉट सं०-175, रकबा 0.05 एकड़ को नामान्तरण हेतु दायर आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है। अपीलार्थी ने नामान्तरण वाद सं०-208R27/2021-22 का पारित आदेश की ऑनलाईन प्रति अपील अर्जी के साथ संलग्न किया है। अपील अंगीकृत करते हुए विपक्षी को सूचना निर्गत की गई।

अपील आवेदन के आलोक में कार्यवाही प्रारंभ कर अंचल अधिकारी, महुआडाँड़ से नामांतरण वाद सं०-208R27/2021-22 के अभिलेख एवं भूमि का जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, महुआडाँड़ के पत्रांक-398A, दिनांक-06.09.2023 को उक्त नामान्तरण वाद अभिलेख की ऑनलाईन प्रति प्राप्त है। उक्त ऑनलाईन में राजस्व कर्मचारी का मतव्य है कि आवेदित भूमि पर मनोज कुमार जायसवाल ग्राम-अम्बवाटोली के द्वारा बताया गया है कि उक्त भूमि पर मेरे द्वारा चाहरदीवारी दिया गया है। पुनः उसी भूमि को विक्रेता के द्वारा सुरेन्द्र यादव, पिता-स्व० भुखन यादव, ग्राम-पहाड़कोचा के साथ विक्री किया गया है।

[Handwritten Signature]

अपीलार्थी को सुना तथा अपीलार्थी ने लिखित अभिकथन में कहा

है कि :-

1. मौजा-रामपुर खाता सं०-08, प्लॉट सं०-175, रकबा 05 डिसमील जमीन अपीलार्थी सुरेन्द्र यादव, पिता-स्व० भुखन यादव की खरीदगी एवं दखली जायदाद है, जिसे अपीलार्थी ने केवाला सं०-17 बुक सं०-01 भोल्यूम सं०-02 पेज सं०-413, 474 के जरिये दिनांक-06.01.2022 को नविश्टे तनवीर अहमद, पिता-मो० सज्जाद स्थायी निवासी ग्राम-महुआडांड, थाना-महुआडांड, जिला-लातेहार से खरीदा है जो इस वाद में विपक्षी है।
2. मौजा-रामपुर खाता सं०-08, प्लॉट सं०-175, रकबा 50 डिसमील जमीन को इस वाद के विपक्षी तनवीर अहमद, पिता-मो० सज्जाद ने केवाला सं०-1143 के जरिये दिनांक-19.08.2020 को खुशबु निशा, पति-स्व० फहीमउद्दीन से खरीदा था जिसका नामान्तरण वाद सं०-160 वर्ष 2020-21 अंचल अधिकारी, महुआडांड द्वारा दिनांक-26.02.2021 को विपक्षी तनवीर अहमद के नाम से स्वीकृत है तथा नामान्तरण के पश्चात मौजा-रामपुर के ऑनलाईन पंजी-II के पेज नं०-65 भोल्यूम नं०-04 में तनवीर अहमद के नाम पर जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद विपक्षी के नाम से निर्गत होती आ रही है।
3. मौजा-रामपुर खाता सं०-08, प्लॉट सं०-175 का RS खतियान पूर्व विक्रेता खुशबुन बीबी के ससुर अमीरउद्दीन के नाम पर दर्ज है।
4. यह कि अपनी जरूरत की गर्ज से तनवीर अहमद ने मौजा-रामपुर खाता सं०-08, प्लॉट सं०-175, रकबा 05 डिसमील जमीन को अपीलार्थी सुरेन्द्र यादव से मो०-239000.00 (दो लाख उन्नचालीस हजार) रुपये जसमन प्राप्त कर केवाला सं०-17 के जरिये दिनांक-06.01.2022 को विक्री कर दिया एवं क्रेता सुरेन्द्र यादव को उक्त जमीन पर कब्जा-दखल देकर दखलकार कर दिया जिस पर खरीदगी की तारीख से अपीलार्थी सुरेन्द्र यादव का शांतिपूर्ण कब्जा-दखल चला आ रहा है।

5. यह कि जमीन खरीदने के पश्चात क्रेता सुरेन्द्र यादव द्वारा अंचल अधिकारी, महुआडांड के समक्ष नामान्तरण हेतु आवेदन दिया गया था। जिसे अंचल अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है जो गलत है जिसके विरुद्ध यह अपील दाखिल किया गया है।
6. यह कि ऊपर वर्णित जमीन अपीलार्थी सुरेन्द्र यादव की खरीदगी जमीन है जिस पर अपीलार्थी का शांतिपूर्ण कब्जा-दखल चला आ रहा है।

विपक्षी की ओर से लिखित कथन है कि :-

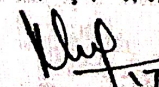
1. मौजा-रामपुर खाता सं०-08, प्लॉट सं०-175, रकबा 50 डिसमील जमीन को विपक्षी तनवीर अहमद, पिता-मो० सज्जाद ने केवाला सं०-1143 के जरिये दिनांक-19.08.2020 को खुशबु निशा, पति-स्व० फहीमुदीन से खरीदा था जिसका नामान्तरण वाद सं०-160 वर्ष 2020-21 अंचल अधिकारी, महुआडांड के द्वारा दिनांक-26.02.2021 को विपक्षी तनवीर अहमद के नाम से स्वीकृत हुआ है तथा नामान्तरण के पश्चात ग्राम-रामपुर के ऑनलाईन पंजी-II के पेज नं०-65 भोल्यूम नं०-04 में तनवीर अहमद के नाम पर जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद विपक्षी के नाम से निर्गत होती आ रही है।
2. यह कि मौजा-रामपुर खाता सं०-08, प्लॉट सं०-175 का RS खतियान पूर्व विक्रेता खुशबुन बीबी के ससुर अमीरउद्दीन के नाम से दर्ज है।
3. यह कि अपनी जरूरत के गर्ज से तनवीर अहमद ने मौजा-रामपुर खाता सं०-08, प्लॉट सं०-175 रकबा 05 डिसमील जमीन को अपीलार्थी सुरेन्द्र यादव को विक्री कर दिया एवं क्रेता सुरेन्द्र यादव को उक्त जमीन पर कब्जा-दखल देकर दखलकार कर दिया जिस पर खरीदगी की तारीख से अपीलार्थी सुरेन्द्र यादव का शांतिपूर्ण कब्जा-दखल चला आ रहा है।
4. यह कि जमीन खरीदने के पश्चात क्रेता सुरेन्द्र यादव द्वारा अंचल अधिकारी, महुआडांड के समक्ष नामान्तरण हेतु आवेदन दिया गया था जिसे अंचल अधिकारी के द्वारा खारिज कर दिया गया है।

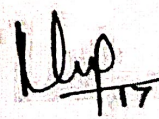
5.

यह कि ऊपर वर्णित जमीन अपीलार्थी सुरेन्द्र यादव की खरीदगी जमीन है जिसपर अपीलार्थी का शांतिपूर्ण कब्जा-दखल चला आ रहा है। जिसका नामान्तरण अपील सुरेन्द्र यादव के पक्ष में स्वीकृत किये जाने पर विपक्षी तनवीर अहमद को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अंचल अधिकारी, महुआडांड के द्वारा नामान्तरण वाद सं०-208R27/2021-22 में पारित आदेश रद्द करने एवं दाखिल खारिज अपील को अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्ष को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल लिखित जवाब, कागजातों एवं अंचल अधिकारी, महुआडांड के ऑनलाईन प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा अपीलार्थी को अपनी खरीदगी भूमि खाता सं०-08, प्लॉट सं०-175 कुल रकबा 50 डिसमील में से 05 डिसमील भूमि को निबंधित केवाला द्वारा विक्री कर दखलकार बनाया गया है जिसकी पुष्टि विपक्ष अपने लिखित कथन में भी कही है। दाखिल-खारिज के लिए क्रेता का दखल-कब्जा एवं विक्रेता का जमाबंदी ही मुख्य बिन्दु है। अंचल अधिकारी से प्राप्त अभिलेख की ऑनलाईन प्रति में राजस्व कर्मचारी का मंतव्य है कि आवेदित भूमि पर मनोज कुमार जायसवाल द्वारा बतलाया गया कि उक्त भूमि पर मेरे द्वारा चाहरदीवारी दिया गया है। उक्त के संबंध में कोई लिखित आवेदन संलग्न नहीं है और न ही अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर दखल-कब्जा के संबंध में कोई प्रतिवेदन दिया गया है। अंचल अधिकारी, महुआडांड द्वारा प्रश्नगत भूमि की दखल-कब्जा के बिन्दु पर बिना स्थलीय जाँच किये ही नामान्तरण अस्वीकृत कर दिया गया है जो न्यायोचित नहीं है। फलतः नामान्तरण वाद सं०-208R27/2021-22 दिनांक-04.07.2022 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, महुआडांड को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि की दखल-कब्जा के बिन्दु पर स्थलीय जाँच कर एवं राजस्व अभिलेखों का अवलोकन करते हुए नियमानुसार नये सिरे से आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त घोषित की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, महुआडांड को अनुपालन हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
महुआडांड।


भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
महुआडांड।